न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति स्नेहलता हारीत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1/205

तारीख दायरा : 11.08.2011

उनवान

1. विष्णुदत्त पुत्र श्री औमकार प्रसाद जाति ब्राहम्मण निवासी रैणी जिला अलवर।

वादी।

बनाम

1. नानगराम पुत्र श्योसहाय जाति ब्राहम्मण निवासी रैणी।
2. दामोदरलाल पुत्र श्री श्योसहाय जाति ब्राहम्मण निवासी रैणी जिला अलवर।

प्रतिवादीगण।

(दावा स्थाई निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.)

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय::

दिनांक : 07-09-2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 2120 रकवा 9 एयर, ख.न. 2122 रकवा 14 एयर वाके ग्राम रैणी में स्थित है जिसमें वादी 1/3 दर 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार रहा है। दीगर सह खातेदार वो वादी आदि ने वाहमी तौर पर आराजीयात का बटंवारा किया हुआ है जिस बटंवारे में उपरोक्त आराजी अकेले वादी के हिस्से व कब्जे में आई है जिस पर वादी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी ख.न. 2120 के लगता हुआ ख.न. 2119 रकवा 8 एयर वाके ग्राम रैणी स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण ने निर्माण कार्य करवा रहे है तथा वादी की आराजी ख.न. 2120 व 2122 पर भी कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते है। जवकि प्रतिवादीगण का वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख.न. 2120 व 2122 से किसी प्रकार कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा जवरन वादी की उपरोक्त आराजी में निर्माण कार्य कर कब्जा किया जा रहा है तथा वादी के मना करने से भी वाज नहीं आ रहा है वल्कि दिनांक 5.08.2011 को ऐलानिया धमकी भी दी गई है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी में जवरन कब्जा ना करने एवं कोई निर्माण कार्य ना करने हेतु अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. से पावन्द फरमाया जावे।

Scanned with CamScanner

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादगण ने न्यायालय में उपंसजात होकर इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया है कि वादी की उक्त आराजी के लगता हुये ख.न. 2119 मिन प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आराजीयात है। ख.न. 2119 व 2120 के मध्य की डौल में पुख्ता नींव भरी हुई है जो नींव पूर्व में अपने–अपने खसरा नम्बर की निशादेही वो सीमा बनाए रखने के लिए वादी की सहमति से भरवाई गई थी। वादी द्वारा यह दावा प्रतिवादीगण को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। वादी का यह कथन गलत है कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है और ना ही उसे भूमि से बेदखल करने या उसकी भूमि में कोई निर्माण करने का प्रयास किया गया है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से स्वंय वादी विष्णुदत्त पी.ड.1 एवं गवाह श्यामलाल पी.ड. 2, के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया। प्रतिवादी की ओर गवाह मुरारीलाल एवं दमोदरलाल के शपथ पत्र पेश किये गये उसके उपरान्त पर्याप्त समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी साक्षी जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुये।

हमने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स. 2068 के अनुसार आराजी ख.न. 2120 रकबा 7 एयर एवं 2122 रकबा 14 एयर वाके ग्राम रैणी दुर्गाप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल 1/3, अतेन्द्र कुमार, ललीताप्रसाद,राजेन्द्र कुमार पुत्रान रामप्रताप 1/3 हि. तोताराम, विष्णुदत्त हरिराम पि. औंकार समान भाग 1/3 भाग के नाम दर्ज है। आराजी ख.न. 2119 रकबा 8 एयर सच्चीदानन्द पुत्र रामलाल 1/9 हि. कल्याणसहाय पुत्र श्योदान 1/3 हि. राधाकिषन ,सूरजमल पि. रामकिशोर 1/9 हि. रामलाल पुत्र रामसहाय 1/9 हि. के नाम दर्ज है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आराजी ख.न. 2120 एवं 2122 में प्रतिवादीगण 1/3 भाग के खातेदार है तथा आराजी ख.न. 2119 सच्चीदानन्द पुत्र रामलाल 1/9 हि. कल्याणसहाय पुत्र श्योदान 1/3 हि. राधाकिषन ,सूरजमल पि. रामकिशोर 1/9 हि. रामलाल पुत्र रामसहाय 1/9 की आराजी है जिसे प्रतिवादी ने उसकी खरीदशुदा आराजी होना बताया है परन्तु यह तथ्य राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। यद्यपि प्रतिवादीगण ने अपने उक्त कथन के समर्थन में एक इकरारनामा की फोटोप्रति प्रस्तुत की है जो पत्रावली पर मौजूद है। इसके अनुसार ख.न. 2119 के सह खातेदार राधाकिशन की धर्मपत्नी श्रीमति किस्तूरी द्वारा यह इकरारनामा लिखा गया है कि आराजी ख.न. 2119 रकबा 8 ऐयर उसके द्वारा नानगराम शर्मा व

Scanned with CamScanner

दामोदर लाल शर्मा को बेचान कर दिया है परन्तु बयनामा में गलत नम्बर अंकित हो जाने के कारण उक्त आराजी उसके पति राधाकिशन के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार श्रीमति किस्तूरी के इकरारनामा के अनुसार प्रथम दृष्टया यह माना जावेगा कि उक्त आराजी ख.न. 2119 प्रतिवादीगण की क्रय शुदा भूमि है।

अब प्रश्न यह आता है कि आया वादी की आराजी ख.न. 2120 में क्या प्रतिवादीगण कोई कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे है। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादीगण की आराजी ख.न. 2120 व 2122 पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई कब्जा करना नहीं पाया जाता है। ना ही प्रतिवादीगण के ख.न. 2119 में वादीगण के ख.न. 2120 की कोई भूमि मिली हुई पाई गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 2119 में जो निर्माण किया गया है वह सही होना एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना बताया गया है।

इस प्रकार मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी में किसी प्रकार का न तो कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है और ना ही उसकी खातेदारी भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी में मिलाया गया है।

यद्यपि वादी विवादग्रस्त आराजी ख.न. 2120 एवं 2122 के रिकार्डेड सह खातेदार है तथा अर्न्तगत धारा 188 विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने के मुश्तहक है परन्तु इस मामले में विवादित आराजी अन्य सह खातेदारों को वादी ने अपने वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। क्योंकि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण का यह कथन रहा है कि यह खसरे उसे बहामी बटंवारे में मिले है यह स्वीकार्य कथन नहीं है। इस कथन की कोई प्रमाणिकता पत्रावली पर नहीं है। चूंकि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक ईचं–ईचं भूमि पर कब्जा माना जाता है तो ऐसी कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में यह नहीं माना जा सकता कि विवादित खसरे वादीगण के पास है। वादीगण को चाहिए था कि वह सभी सह खातेदारों को पक्षकार बनाता। इस प्रकार हम यह पाते है कि वादी का दावा नॉन जोईन्डर आफॅ पार्टीज से ग्रसित है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त मैं यह पाती हूॅ कि वादी का दावा अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner

आदेश

दावा वादी बाबत आराजी ख.न. 2120 रकबा 7 एयर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 14 एयर वाके ग्राम रैणी दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

(स्नेहलता हारीत)

आर.ए.एस.

निर्णय आज दिनांक 07-09-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्नेहलता हारीत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

Scanned with CamScanner